

भारत गणराज्य की सरकार और बिलीज़ सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग करार

भारत गणराज्य को सरकार और बिलीज़ सरकार, जिनको इसके पश्चात् संविदाकारी पक्षकार कहा जाएगा,

घनिष्ठतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित और विकसित करने की समान इच्छा से प्रेरित होकर, और

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गैर-व्यावसायिक खेल-कूदों तथा सूचना माध्यमों में शैक्षिक कार्यकलापों सहित, विशेषकर संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में भारत और बिलीज़ के बीच ऐसे संबंधों और सद्भावना को हर संभव तरीके से प्रोन्नत व विकसित करने की इच्छा से निम्नलिखित पर सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

संविदाकारी पक्षकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जन-प्रचार माध्यमों तथा गैर-व्यावसायिक खेल-कूदों में शैक्षिक कार्यकलाप सहित संस्कृति, कला, शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को सुकर बनाएंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे, ताकि दोनों देश इन क्षेत्रों में अपनी-अपनी संस्कृतियों और कार्यकलापों की बेहतर जानकारी प्रदान कर सकें।

अनुच्छेद 2

§क§ संविदाकारी पक्षकार व्याख्यान देने और विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने तथा अधिवेशनों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और सेमिनारों में भाग लेने के लिए प्रोफेसरों तथा विशेषज्ञों के पारस्परिक दौरों को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें सुकर बनाएंगे,

॥ख॥ कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक एसोशियनों के प्रतिनिधियों के पारस्परिक दौरे,

॥ग॥ संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेल-कूद के क्षेत्र में सामग्री का आदान-प्रदान, कला नमूनों का विनिमय तथा,

॥घ॥ उत्खनन तथा पुरातत्ववीय खोजों के परिरक्षण तथा प्रदर्शन का अनुभव प्राप्त करने के लिए पुरातत्वविदों को पारस्परिक सुविधारं,

अनुच्छेद 3

प्रत्येक संबिदाकारी पक्षकार अपने देश की उच्च शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन करने के इच्छुक दूसरे देश के छात्रों और शिक्षकों को सुविधारं तथा छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 4

संबिदाकारी पक्षकार अपनी सक्षम संस्थाओं के माध्यम से और अपने देश के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार दोनों देशों के डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों तथा विश्वविद्यालय उपाधियों की समकक्षता के निर्धारण के संबंध में जांच करेगा।

अनुच्छेद 5

प्रत्येक संबिदाकारी पक्षकार अपने रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से दूसरे पक्षकार के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्रियों और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 6

॥क॥ दोनों पक्षकार कला प्रदर्शनो सहित सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के आदान-प्रदान को सुकर बनाएंगे और प्रोन्नत करेंगे।

॥ख॥ वृत्त-चित्रों, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों की रिकार्डिंग तथा डिस्को और टेपों की रिकार्डिंगों का आदान-प्रदान, और

॥ग॥ चलचित्रकी के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान तथा एक-दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में भाग लेना।

अनुच्छेद 7

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच गैर-व्यावसायिक खेल-कूद टीमों के दोरों को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 8

संविदाकारी पक्षकार अपनी-अपनी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने हेतु विशेष रूप से इतिहास और भूगोल संबंधी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 9

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने देश के कानूनों, विनियमों और सामान्य नीति के अनुसार दूसरे पक्षकार द्वारा अथवा पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षा और सांस्कृतिक प्रयोजनों को समर्पित सांस्कृतिक संस्थानों अथवा मैत्री संघों की अपनी क्षेत्र सीमा में, स्थापना का स्वागत करेगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी संस्था को स्थापित करने के पूर्व संबंधित सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी।

अनुच्छेद 10

इस करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों पक्षकारों द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी, जिसमें दोनों सरकारों के प्रतिनिधि समान संख्या में शामिल होंगे और इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन वर्ष में बारी-बारी से भारत और ब्रिटीज़ में होगी।

संयुक्त समिति दोनों देशों में करार के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा करने, विनिमय कार्यक्रम तैयार करने और उनकी प्रगति की समीक्षा करने, करार के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रुचिकर विषयों की दूसरे पक्षकार को सिफ़ारिश करने और सामान्यतः करार के कार्यकरण में सुधार लाने के तरीके के बारे में संबद्ध सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी होगी।

अनुच्छेद 11

यह करार हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा और पांच वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा तथा तत्पश्चात् यह हर बार पांच वर्ष की और अवधि के लिए तब तक स्वतः नवीकृत होता रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्षकार वर्तमान करार को समाप्त करने के अपने आशय की लिखित सूचना छः माह पूर्व दूसरे पक्षकार को नहीं दे देता।

इसके साक्ष्य में, पक्षकारों के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं और इस पर अपनी-अपनी मोहरें लगाई हैं।

नई दिल्ली में, 1916 {शक} के ज्येष्ठ माह के 25 वें दिन तदनुसार 1994 {ई.स.} के जून माह के 15 वें दिन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं, प्रत्येक में दो-दो मूल प्रतियों में, निष्पादित किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से



{अर्जुन सिंह}

मानव संसाधन विकास मंत्री

ब्रिटीश सरकार
की ओर से



{डीन ओलिवर बारो}

उप प्रधान मंत्री एवं

विदेश मंत्री

Cultural Cooperation Agreement between the
Government of the Republic of India and the
Government of Belize

The Government of the Republic of India and the Government of Belize, hereinafter referred to as the Contracting Parties

INSPIRED by a common desire to establish and develop closer cultural relations, and

DESIROUS of promoting and developing in every possible manner such relations and understanding between India and Belize especially in the realm of culture and education, including academic activity in science and technology, non-professional sports and information media

HAVE AGREED to the following:-

Article 1

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in the fields of culture, art, education including academic activity in science and technology, mass-media and non-professional sports, in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.

Article 2

The Contracting Parties shall encourage and facilitate

- (a) reciprocal visits of professors and specialists for delivering lectures and conducting special courses and participation in congresses, conferences, symposia and seminars;
- (b) Reciprocal visits of representatives of artistic, literary, scientific, cultural and academic associations;
- (c) Exchange materials in the field of culture, science, education, sports, exchange of art specimen and;
- (d) Reciprocal facilities to archaeologists to gain experience of excavation as well as preservation and display of archaeological finds.

Article 3

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and teachers of the other country seeking to study in its institutions of higher education.

Article 4

The Contracting Parties shall examine through their competent Institutions and according to the national laws of each country the diplomas, certificates and University degrees with a view to arriving at their equivalence.

Article 5

Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of the other Party through the media of radio and television. With this end in view, the Parties shall exchange suitable materials and Programmes.

Article 6

The Parties shall facilitate and promote

- (a) Exchange of cultural manifestations including art exhibitions;
- (b) Exchange of film documentaries, radio and television programmes recordings and recordings of discs and tapes; and
- (c) Exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

Article 7

The Contracting Parties shall encourage visits of non-professional sports teams between the two countries.

Article 8

The Contracting Parties shall exchange information particularly that relating to history and geography for the preparation of text books prescribed for their educational institutions.

Article 9

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to education and cultural pursuits by the other Party or the Parties jointly, in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard, it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institution is established under this Article.

Article 10

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement, a Joint Committee shall be established by both the Parties consisting of an equal number of representatives of the two Governments, which shall meet every three years alternately in India and Belize.

The Joint Committee will be responsible for keeping under periodical review the working of the Agreement in the two countries, formulation of exchange programmes and reviewing their progress, recommending to the other Party any items of interest within the scope of the Agreement and generally advising the Government concerned as to the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

Article 11

The present Agreement shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further period of five years each time unless either Party gives to the other Party six months prior written notice of its intention to terminate the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised representatives of the Parties have signed the present Agreement and have affixed their seal thereto.


DONE in duplicate at New Delhi on Wednesday the 15th day of June of the Year One Thousand Nine Hundred and Ninety Four corresponding to the twenty fifth day of Jyaistha of the Year One Thousand Nine Hundred and Sixteen (Saka) in Hindi and English languages, all the texts being equally authentic. In case of doubt the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA



(ARJUN SINGH)
MINISTER FOR HUMAN
RESOURCE DEVELOPMENT

FOR THE GOVERNMENT OF
BELIZE



(DEAN OLIVER BARROW)
DEPUTY PRIME MINISTER &
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS